हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

बुलेटिन-भाग-2

(संसदीय एवं अन्य विषयों सम्बन्धी सामान्य सूचना)

वीरवार, 15 फरवरी, 2018/26 माघ, 1939 (शक्)

संख्या : 34

अध्यक्ष, मुख्य मन्त्री एवं मन्त्रियों के कक्ष हेतु प्रवेश-पत्र

1. विधान सभा सत्र के दौरान अध्यक्ष के कक्ष हेतु प्रवेश-पत्र निम्न प्रकार से विनियमित होंगे :-

(1) पूर्व सांसद, पूर्व विधायक एवं स्वतन्त्रता सेनानियों का केवल गेट नं0 1 पर स्वागत होगा ताकि उन्हें असुविधा महसूस न हो; और

(2) यदि अध्यक्ष की अनुमति हो तो उन्हें मिलने वाले आगन्तुकों को प्रवेश-पत्र केवल 2.00 बजे अपराह्न के बाद जारी किये जा सकेंगे जब अध्यक्ष ने बुलाया हो। कोई आगन्तुक मुख्य भवन के अन्दर थैला आदि नहीं ले जा सकता।

2. जब विधान सभा सत्र में हो, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रियों को मिलने के इच्छुक आगन्तुकों का प्रवेश निम्न प्रकार से विनियमित होगा :-

(1) जब तक विधान सभा की बैठक चल रही हो, तब तक सामान्यतः दिन के लिए कोई प्रवेश-पत्र जारी नहीं होगा;

(2) तथापि, विशेष परिस्थितियों में, जब मुख्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्री आगन्तुकों से मिलना चाहें तो सोमवार से शुक्रवार तक सायं 3.00 बजे से 5.00 बजे तक मन्त्री (मन्त्रियों) द्वारा निर्धारित समय के अनुसार प्रवेश-पत्र जारी किए जा सकेंगे। इस प्रकार के प्रवेश-पत्र विधान सभा सचिवालय द्वारा तभी जारी किए जाएंगे जब कि मुख्य मन्त्री या सम्बध्द मन्त्री (मन्त्रियों) के निजी सचिव आगन्तुकों के नाम, उनका विवरण तथा मिलने का निर्धारित समय लिखित रूप में देंगे;

(3) मुख्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों को मिलने के इच्छुक आगन्तुकों को केवल गेट नम्बर-3 से प्रवेश मिलेगा। यह केवल उन मन्त्रियों की स्थिति में लागू होगा जिनके चैम्बर मुख्य भवन की धरातल मंजिल में हैं। प्रशासनिक भवन के चैम्बर्ज में बैठने वाले मन्त्रियों को मिलने के इच्छुक आगन्तुकों का प्रवेश गेट नम्बर-6 से होगा, परन्तु वे विठ्ठल भाई भवन में तथा प्रशासनिक भवन के गेट से आगे प्रवेश नहीं करेंगे;

(4) मुख्य मन्त्री से मिलने के बाद आगन्तुक केवल गेट नम्बर-2 से बहिर्गमन करेंगे किन्तु गेट नम्बर-2 से कोई भी आगन्तुक प्रवेश नहीं करेगा। इसी प्रकार से मुख्य भवन की धरातल मंजिल में बैठने वाले मन्त्रियों को मिलने के इच्छुक आगन्तुक, उन्हें मिलने के बाद मन्त्री कक्ष के पीछे की ओर निजी सचिवों के कक्ष से बहिर्गमन करेंगे;

(5) पुस्तकालय कम्पलैक्स या सदस्यों के लाउन्ज की ओर किसी भी आगन्तुक को नहीं जाने दिया जायेगा;

(6) बिना प्रवेश-पत्र प्राप्त किए सदस्य अपने साथ किसी आगन्तुक को मुख्य मन्त्री या मन्त्रियों के कक्ष में न ले जायें;

(7) परिसीमाओं के अन्दर अवांछित और अनधिकृत भीड़ रोकने के लिए लाउन्जों, बरामदों तथा दीर्घाओं में आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा और जो बिना प्रवेश-पत्र के पाए जाएंगे उन्हें परिसर छोड़ने हेतु कहा जाएगा; और

(8) ज्योंही आगन्तुक चैम्बर से निकलेगा, मुख्य मन्त्री और सम्बध्द मन्त्री (मन्त्रियों) के निजी स्टाफ के सदस्य उनसे प्रवेश-पत्र जमा कर लेंगे।

सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा।